न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 97/2018
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 13/05/24

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दयावली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा नदबई तहसील नदबई पंचायत समिति नदबई।
2. सरपंच ग्राम पंचायत परसवारा तहसील नदबई।
3. सचिव, ग्राम पंचायत परसवारा तहसील नदबई।
4. पीएनबी लखनुपर जरिए शाखा प्रबंधक।
5. पी.एल.डी.बी. शाखा नदबई जरिए शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री गजेन्द्र सिंह एड0 (वादीगण)

निर्णय

दावा 1[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादी में से ऐसा कोई रंजिश नहीं है, जो दावा लडने योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबरान 1256 रकबा 0.14 वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2072 से 2075 वादपत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी वादी की न्यारानूर खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 चुनावी रंजिश के कारण वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 1256 रकबा 0.14 वाके ग्राम दयावली तहसील

13/5/24

Scanned with OKEN Scanner

नदबई की आराजी में पद की दुरूपयोग करते हुए ग्रेवल सडक निर्माण करने पर आमादा है। जिसका कि उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

4. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वमुकाम दयावली तहसील नदबई पर दिनांक 09.07.2018 को ये एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी में जबरदस्ती सडक निर्माण करके रहेंगे तथा वादी को बेदखल कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करेगा तथा आराजी खसरा नंबरान 1256 रकबा 0.14 में ग्रेवल सडक निर्माण न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादी के अधिकारों पर जबाल आवे।

5. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की तलवी बाबजूद भी न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2072–75 वाके ग्राम दयावली पेश की गई एवं [illegible] सन 1997–98 वाके ग्राम दयावली पेश की गई। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दयावली पेश किये।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश एवं मौखिक ब्यान पेश नहीं किये गये।

हमने वादी के अधिवक्ता की बहस एकतरफा सुनी गई तथा मन्न किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072–75 में पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 1256 रकबा 0.14 वाके ग्राम दयावली वादी के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 1256 पर प्रतिवादीगण द्वारा सडक निर्माण किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परंतु वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए जिससे साबित होता हो कि वादी की विवादित आराजी खसरा नंबरान पर मनरेगा के तहत ग्रेवल सडक निर्माण किया जा रहा हो। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित होता

2|3|5|24

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हो कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1256 मे होकर सड़क निर्माण कर रहे है। वादी द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध न होने के कारण काबिल खारिजी के है।

अतः वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13/05/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13/5/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner